प्रेस नोट

* **मृतक भूमि स्वामी को जिवित दर्शाकर फर्जी विक्रय पत्र से करोडो की भूमि विक्रय करने के संबंध में EOW में FIR दर्ज**

- ग्राम सिंहासा, तहसील मल्हारगंज, जिला इन्दौर स्थित कुल 12.66 हेक्टेयर भूमि बरकतउल्ला पिता कुदरतउल्ला एवं करामतउल्ला पिता कुदरतउल्ला के स्वामित्व की थी।
- बरकतउल्ला वर्ष 1980 से दुबई में निवासरत थे तथा उन्होंने दिनांक 10.03.1996 को अब्दुल कय्युम को उक्त भूमि का आम मुखत्यार नियुक्त किया था।
- बरकतउल्ला की मृत्यु 07.10.2010 को हो चुकी थी, इसके बावजूद आम मुखत्यार अब्दुल कय्युम ने उनको जीवित होने का झूठा शपथ पत्र देकर तथा कूटरचना कर उनके नाम से विक्रय पत्रों का पंजीयन कराया। विक्रय पत्रों में चस्पा फोटो भी बरकतउल्ला से भिन्न पाया गया।
- आरोपीगण द्वारा आपस में संगनमत होकर झूठे शपथ पत्र, कूटरचित दस्तावेजों तथा फर्जी फोटो का उपयोग कर मृत व्यक्ति को जीवित दर्शाते हुए भूमि हड़पने के उद्देश्य से धोखाधड़ी की गई।

आरोपी :-
1. रूबीना पति अजमतउल्ला, नि.-31, नन्दनवन कॉलोनी, माणिकबाग रोड़, इन्दौर
2. अजमतउल्ला पिता बरकतउल्ला, नि.-31, नन्दनवन कॉलोनी, माणिकबाग रोड़, इन्दौर
3. इलतीफत अली पिता ए.क्यू. खान, नि.-1, गुलजार कॉलोनी, इन्दौर
4. जावेद अली सैय्यद पिता हुसैन अली, नि.-302, रोज़ मीनार, अशोका कॉलोनी इन्दौर

अपराध :- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में दर्ज शिकायत की जांच में यह तथ्य सामने आया कि ग्राम सिंहासा, जिला इन्दौर स्थित लगभग 12.66 हेक्टेयर भूमि बरकतउल्ला एवं करामतउल्ला पिता कुदरतउल्ला के स्वामित्व की थी। बरकतउल्ला, जिनका निधन 07.10.2010 को यूएई में हो चुका था, ने पूर्व में अब्दुल कय्युम को आम मुखत्यार नियुक्त किया था।

जांच के दौरान पाया गया कि आम मुखत्यारनामे के अधिकारों का उपयोग करते हुए वर्ष 2010–11 में रूबीना पति अजमतउल्ला एवं अजमतउल्ला पिता बरकतउल्ला के पक्ष में कुल पाँच विक्रय पत्र पंजीकृत कराए गए, जिनमें लगभग रूपये 1,02,99,000/- (एक करोड दो लाख निन्यानवे हजार) का भुगतान दर्शाया गया। विक्रय पत्रों में मृत बरकतउल्ला को जीवित दर्शाने वाले शपथ पत्र में काटछांट/ओवरराइटिंग, तथा चस्पा फोटोग्राफ में भिन्नता पाई गई ।

आरोपियों द्वारा दस्तावेज़ों में कूटरचना, झूठे शपथ पत्र के उपयोग और आम मुखत्यारनामे के दुरुपयोग के माध्यम से भूमि हस्तांतरण किया जाना प्रथम दृष्टया पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया ।